भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 981
01.07.2019 को उत्तर के लिए

बहुमंजिली इमारतों में होने वाला प्रदूषण

981. श्री राम नाथ ठाकुर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित देश की बहुमंजिली इमारतों में होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण की निगरानी करती है, यदि हां, तो क्या इन इमारतों के बेसमेंट में लगे हुए मोटर पम्प और अन्य उपकरण ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियमावली, 2000 के अनुपालन में चल रहे हैं;

(ख) क्या इन बेसमेंट की जांच करने पर सरकार ने इन बहुमंजिली इमारतों के निवासियों पर ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों का आंकलन करने के लिए कोई अध्ययन करवाया है; और

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन बहुमंजिली भवनों की संख्या कितनी है जिनमें राष्ट्रीय भवन संहिता और ध्वनि प्रदूषण (विनियम और नियंत्रण) नियमावली, 2000 का पूर्ण रूप से अनुपालन किया है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सहयोग से देश में प्रदूषण स्तर की निगरानी करने और इसे रोकने के लिए 07 महानगरों नामश: मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्ने, बंगलुरू, लखनऊ और हैदराबाद में राष्ट्रीय परिवेशी ध्वनि निगरानी नेटवर्क स्थापित किया है। बहु-मंजिली इमारतों में होने वाला प्रदूषण कम स्तर का होता है और इसकी निगरानी सामान्यतया केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा जनता से प्राप्त शिकायतों के आधार पर की जाती है। ध्वनि प्रदूषण के संबंध में, सरकार ने औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और मौन क्षेत्र जैसे विभिन्न भूमि उपयोग वाले क्षेत्रों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए हैं। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के क्रियान्वयन का कार्य राज्य सरकार के प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन बहु-मंजिली इमारतों के निवासियों और विशेष तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और गृहणियों पर विशेष रूप से ध्वनि प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ऐसे ब्यौरे नहीं रखता है। जैसाकि पहले बताया गया है, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुपालन की निगरानी मामला-दर-मामला आधार पर की जाती है।

****